कार्यालय– स्नेहा सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह जिला दमोह म.प्र.

–//आदेश//–

कमांक 256 **/2025** **दमोह, दिनांक 28.06.2025**

मैं, स्नेहा सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह जिला दमोह म.प्र. धारा 13(2) भा.ना.सु.सं.2023 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **माह जुलाई** एवं **माह अगस्त 2025** के सार्वजनिक अवकाश दिवसों के लिए जिला मुख्यालय दमोह, तहसील न्यायालयों हटा, पथरिया तथा तेंदूखेड़ा में रिमांड एवं आवश्यक दांडिक कार्य संपादन के लिए निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत करती हूं–

निम्नलिखित मजिस्ट्रेट द्वारा उनके नाम के आगे दर्शित अवकाश दिवस पर अपने न्यायालय कक्ष में अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य आवश्यक दांडिक कार्य संपादित किए जाएंगे–

क.	मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश दिवस माह जुलाई 2025	अवकाश दिवस माह अगस्त 2025	अन्य अवकाश घोषित होने पर	रिमार्क
			जिला मुख्यालय दमोह		
1.	श्रीमती अनुप्रेक्षा जैन जे.एम.एफ.सी. दमोह	–	17, 27	माह जुलाई	–
2.	सुश्री दिव्या रामटेके जे.एम.एफ.सी. दमोह	6	2, 24	–	–
3.	सुश्री प्रिया राठी जे.एम.एफ.सी दमोह	5	3, 31	–	–
4.	सुश्री तसलीम निजामी जे.एम.एफ.सी. दमोह	13	9	माह अगस्त	–
5.	श्रीमती पलक सिंघई जे.एम.एफ.सी. दमोह	19	16	–	–
6.	श्री उत्कर्ष दिवाकर जे.एम.एफ.सी. दमोह	20	15	–	–

7.	सुश्री रिया सिंह जे.एम.एफ.सी. दमोह	27	10	—	—
			तहसील न्यायालय हटा		
8.	श्रीमती निधि जैन जे.एम.एफ.सी. हटा	—	2, 3, 15, 16	माह अगस्त	—
9.	श्री तेजसींग गौंड़ जे.एम.एफ.सी. हटा	5, 6, 19	9, 10, 24	—	—
10.	सुश्री निशिता श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. हटा	13, 20, 27	17, 27, 31	माह जुलाई	—
			तहसील न्यायालय पथरिया		
11.	सुश्री जूही सिंह जे.एम.एफ.सी. पथरिया	समस्त अवकाश	समस्त अवकाश	दोनों माह	—
			तहसील न्यायालय तेंदूखेड़ा		
12.	श्री पुजित कमल जे.एम.एफ.सी. तेंदूखेड़ा	समस्त अवकाश	समस्त अवकाश	दोनों माह	—

नोट :–1. उपरोक्त तालिका में संबंधित मजिस्ट्रेट यदि आकस्मिक अवकाश या किसी अन्य कारण से रिमांड कार्य संपादित करने में असमर्थ रहते हैं, तब उनके द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अपने प्रभार के मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाएगा। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड ड्यूटी संपादित नहीं हो सकने की स्थिति में कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार उनके कार्य का प्रभार जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास होगा तथा वे मुख्यालय पर उपस्थित होंगे तो उनके द्वारा संपादित किया जाएगा। यदि किसी कारणवश संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड कार्य करने में असमर्थ हैं और उनके स्थान पर अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड कार्य करवाने के लिए सहमत हैं, तो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व में लिखित सूचना देकर और उनकी अनुमति से रिमांड ड्यूटी संपादित कर सकेंगे।

2. तहसील पथरिया एवं तेंदूखेड़ा के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश/मुख्यालय से बाहर होने की दशा में जिला मुख्यालय, दमोह में रिमांड कार्य निष्पादित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड कार्य संपादित किया जाएगा।

3. समस्त रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने स्टाफ सहित रिमांड

कार्य में दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे।

(स्नेहा सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह
जिला दमोह म.प्र.

पृष्ठांकन क्र. 956/1-5/2025 **दमोह, दिनांक 28.06.2025**

प्रतिलिपि–

1. कार्यालय, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा।
3. प्रवर्तन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह।
4. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं समस्त थाना प्रभारियों को सूचित किए जाने हेतु प्रेषित।

(स्नेहा सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह
जिला दमोह म.प्र.